

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वास्तविक : शिक्षा-मा / नाम्य/अ-४/क्रमांक/रामावि/21308/2021-22

दिनांक 15.11.21

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक

राजस्थान।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रारवडियो की पागल, ग्राम पंचायत-आतों की पदार विधानसभा-नाथद्वारा, लौक-छमनीर, जिला-गजसंगठ शो राजकीय माध्यमिक विद्यालय गे क्रमोन्नत करने छे संबंध में।

प्रत्यक्ष : शासन का पत्रांक- प. 11(1) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 15.11.2021

उपर्युक्त विषयालयांतर्गत प्रासादिक शासकीय रवैयूति के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महांत्य के नाथद्वारा जिला-राजसंगठ प्रवास के दौरान की गई घोषणा के क्रियान्वयन के अनुसरण में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रारवडियो (गोपालपुरडाईस कोड-08250522201), ग्राम पंचायत-झालों की पदार, विधानसभा-नाथद्वारा, लौक-छमनीर, जिला-गजसंगठ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरबदियो की भागल, ग्राम पंचायत-झालों की पदार, विधानसभा-नाथद्वारा, लौक-छगानी, जिला-राजसंगठ मे क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृत आग्रहित शर्तीय एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2021-22 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के दर्ब सुविधानुसार छक्षा ०७ व 10 एक ताथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. क्रमोन्नत कदातांतों में प्रवेश देकर कक्षा संचालन की सूचना अधिकतम एक सप्ताह में आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अनुसार से वाच्चा देतु निर्धारित ०५ प्रपत्रों में सूचना को पूर्ति भरवाकर शन्तता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
5. राजप्रावित से रामांडि मे क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत द्वाजानाध्यापक, राउप्रावित के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावित में वर्तमान कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-गा के क्रमोन्नत रामावि मे शारीरिक शिक्षक के पद पर तमायोजित किया जायेगा।
6. क्रमोन्नत होने वाले रामावि मे कार्यालय शिक्षक ग्रेड-गा लेयल-१ व लेयल-२ के दूसे अध्यापक जिनका ६डों ने राटडाप परिवर्तन हो चुका है, उनका समाधानन क्रमोन्नत रामावि में उनके विषय के इकायत पद पर किया जायेगा।
7. शेष शिक्षक ग्रेड-गा लेयल-१ व लेयल-२ के अध्यापकों को ग्रेविष्ट शाला दर्पण मे ३ वी मे की जावेगी एवं ये अध्यापक ८ छों की कार्यवाही होने सक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय मे ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण दूर्द की भावति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जायेगा।
8. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्राप्ती नाना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की विकियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकती।
9. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व गू-डाईस कांड आदि की जाओ कर ही आदेश जारी करें।

सत्यमव जयते

15.11.21
(काना राम)

मा/श्व

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : विन्मलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजे समिति प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री भांडोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विकास राज्यमंत्री भांडोदय (स्वतंत्र प्रभारी), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निर्जी समिति, अलिरिक्ष मुख्य सचिव, स्वूल शिक्षा एवं भावा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्वूल शिक्षा परिवर्द, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

६. रासन उप संचित, शिक्षा (गुप्त-१) विभाग, जयपुर को उनके प्राप्तिक वर के लिए ने ।
७. राजिय भाष्याधिक शिळ भोई, राजस्थान अजमेर।
८. विशेष सलाहकार/संयुक्त निदेशक (फार्मिक)/उप निदेशक (गोवर्ना/साइरिनी) : कार्यालय छजा।
९. तभालीय रायुक्त निदेशक: खूल शिक्षा, उदयपुर।
१०. गुरु जिला शिक्षा अधिकारी एवं पठेन वित्त परिवेशवा दामोदर क. माधव शिक्षा अधिकारी गोवर्ना।
११. गुरु जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्कृत संस्कृत एवं प्राचीन साहित्य अधिकारी, राजस्थान (गोवर्ना)।
१२. अनुपम आदेशकारी सरकारी -एवी/ सरकारी-एफ/ बच्चे/ गोप्यता/ आत्मो वि/ आत्म लोग वा अपार्टमेंट एवं।
१३. पार्श्वानिक अनुपम ने एप्रिल २०१८ तो फरवरी २०१८ ते जानवर वर्षाशाली हैं।
१४. राजिय पर्यावरण।

४१

निदेशक
प्राप्तिक वर
राजस्थान
भाष्याधिक

